न्यायालय जिला कलक्टर करौली (3)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या–प्रार्थना पत्र मुतफर्रिक सख्या 06/17. तारीख रजु 19.04.2017

उनवान

1. धर्मसिंह पुत्र पृथ्वीराज उम्र 36 साल जाति मीना निवासी मान्नौज तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज.।
2. बनबारी पुत्र कन्हैया उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी शहराकर तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज.। – प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पत्नि हरिमोहन उम्र 38 साल जाति मीना निवासी मान्नौज तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज.
2. कल्याण पुत्र भजन उम्र 52 साल
3. हजारी पुत्र कन्हैया उम्र 79 साल

सभी जातियान जोगी निवासीयान मान्नौज तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज.

4. पृथ्वीराज पुत्र किल्याण उम्र 56 साल
5. मुकेश पुत्र पृथ्वीराज उम्र 30 साल
6. प्रकाश पुत्र पृथ्वीराज उम्र 28 साल
7. रामअवतार पुत्र बच्चूसिंह उम्र 45 साल
8. रामगोपाल पुत्र बच्चूसिंह उम्र 40 साल
9. रूपसिंह पुत्र बच्चूसिंह उम्र 30 साल
10. रामलाल पुत्र बीरवल उम्र 42 साल

सभी जातियान मीना निवासीयान मान्नौज तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज.

11. तहसीलदार टोड़ाभीम तहसील टोड़ाभीम जिला करौली राज. – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट बाबत् मुंतकिल किये जाने प्रकरण

निर्णय

दिनांक 19.09.2017.

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थियान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थीयान व अप्रार्थी नं. 2 ता 11 के विरुद्ध दिनांक 09.03.2011 को एक वाद पत्र धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट का उनवानी कमलेश बनाम धर्मसिंह वगै. मुकदमा नं. 17/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम में प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीयान द्वारा भी एक वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट का उनवानी बनबारी वगै. बनाम कल्याण वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम में प्रस्तुत किया है। उक्त दोनों दावे दिनांक 01.08.2016 को समेकित किये गये हैं। प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का वर्तमान मुकदमा नं. 86/2016 है। अप्रार्थी नं. 1 का पति हरिमोहन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम की ऑफिस के बगल में चाय की दुकान करता है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम व स्टाफ को प्रतिदिन चाय अप्रार्थी नं. 1 की दुकान से जाती है एवं अप्रार्थी नं. 1 का मकान भी उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम के निवास के पास ही है। अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी नं. 1 के पति उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम पीठासीन अधिकारी टोडाभीम से अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं और इसी कारण प्रकरण में दिनांक 27.03.2017 व 03.04.2017 को अप्रार्थी नं. 1 से प्रार्थीयान व वकील प्रार्थीयान के कहने के उपरांत भी जिरह नहीं कराई गई और प्रकरण को बेबजह देरीना पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के पति से घनिष्ठ संबंध होने के कारण किया जा रहा है। यह वाद दिनांक 03.04.2017 को अप्रार्थी नं. 1 व उसके पति हरिमोहन द्वारा प्रार्थीयान से कही कि मैं अप्रार्थी नं. 1 जब चाहूंगी तब बयान दूंगी। एस.डी.ओ.

जिला कलक्टर
करौली

साहब टोड़ाभीम मेरे कहने के बिना जिरह साक्ष्य नहीं करायेंगे और प्रकरण को देरीना करने की ऐलानिया कहा और प्रकरण का निस्तारण भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के ही हक में करने की ऐलानिया कहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयान को एस.डी.ओ. टोडाभीम से प्रकरण में न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। और अप्रार्थी नं. 1 की साजिश पीठासीन अधिकारी से होना स्पष्ट साबित है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थीयान के प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी।

अप्रार्थी नं. 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुकदमा अप्रार्थिया द्वारा पेश किया गया है तथा धर्मसिंह द्वारा प्रस्तुत मुकदमा दौराने दावा पैरवी नहीं करने पर दावा खारिज किया गया है जिसे पुनः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 का पेश किया जिसे स्वीकार कर अदालत द्वारा पुनः नंबर पर लेकर समेकित किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीयान द्वारा सभी तथ्य एकदम गलत, मनगढंत व कपोल कल्पित दर्ज किये हैं। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा दिनांक 27.03.2017 व 03.04.2017 को एस. डी.ओ. साहब के समक्ष साक्ष्य नहीं कराने व जिरह नहीं कराने का नहीं कहा है। यह तथ्य प्रार्थीयान ने गलत दर्ज किया है। प्रार्थीयान द्वारा जानबूझकर न्यायालय पर घनिष्ठ संबंधों का आक्षेप लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि न्यायालय द्वारा किसी से भी बिना भेदभाव के कानून संगत विधि अनुसार कार्य किया जाता है। ना ही किसी भी पक्षकार के न्यायालय से घनिष्ठ संबंध होते हैं। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी नं. 2 ता 10 ने जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों से हम अप्रार्थीगण को पत्रावली एस.डी.ओ. टोड़ाभीम से किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। उक्त पत्रावली में एस.डी.ओ. साहब के समक्ष निष्पक्ष न्याय होने में अप्रार्थी नं. 1 व उसका पति हरिमोहन बार–बार व्यवधान डालते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली किसी भी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर कर दी जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम के पत्र क्रमांक 1635 दिनांक 10.05.2017 के द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण में अंकित बिन्दुओं पर उपखण्ड अधिकारी, टोड़ाभीम द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अप्रार्थी नम्बर 1 का पति हरिमोहन उपखण्ड कार्यालय टोड़ाभीम के समीप चाय की दुकान करता है किंतु यह कहना गलत है कि इसकी दुकान से चाय मंगवाता हूं। बल्कि सही बात तो यह है कि मैं चाय नहीं पीता हूं ना ही मेरे स्टाफ के कर्मचारीयान इसकी दुकान से चाय मंगवाते हैं। यह कहना भी गलत है कि अप्रार्थी के पति हरिमोहन से मेरे घनिष्ठ संबंध हैं। उभयपक्षकारान द्वारा पृथक–पृथक से दावे इस न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। दोनों दावों की सुनवाई एक साथ नियमानुसार की जा रही है। सही बात तो यह है कि दोनों पक्षकारों के मध्य वर्षों पुरानी रंजिश है। थानाधिकारी टोड़ाभीम द्वारा शांतिभंग करने की स्थिति में धारा 151 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत दोनों पक्षों के चार–चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मेरे न्यायालय में पेश किया गया था जिन्हें माकूल जमानत मुचलके पेश न करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच अन्य प्रकार के मुकदमे भी विचाराधीन हैं। दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश होने के कारण खूनी संघर्ष दिनांक 10.04.2017 को हुआ है जिसकी दोनों पक्षों ने एक–दूसरे के खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज करवाई हैं। यह आरोप पत्रावली स्थानांतरित करने के लिए Cause of Action के

जिला कलेक्टर
करौली

रूप में लगाये गये हैं। मेरे न्यायालय में विचाराधीन दावों की सुनवाई में किसी प्रकार की देरी किये जाने का आरोप निराधार एवं असत्य है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि अप्रार्थी नं. 1 का पति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के परिसर के बगल में चाय की दुकान करता है एवं उसका निवास एस.डी.ओ. निवास के पास ही है एवं अप्रार्थी नं. 1 की दुकान से प्रतिदिन चाय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व स्टाफ को जाती हैं एवं दिनांक 27.03.2017 व 03.04.2017 को अप्रार्थी नं. 1 से प्रार्थीयान व वकील प्रार्थीयान के कहने के उपरांत भी जिरह प्रकरण में नहीं कराई गई और उसी समय अप्रार्थी नं. 1 ने कहा कि मैं चाहूंगी तब बयान दूंगी। एस.डी.ओ. साहब मेरी जिरह मेरे कहने के बिना नहीं करायेंगे एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा भी अप्रार्थी नं. 1 के हक में ही मुकदमा निस्तारण करने की ऐलानिया कहा है। इसलिए प्रार्थियान को उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम से प्रकरण में न्याय की उम्मीद नहीं है और प्रकरण देरीना किया जा रहा है। अतः प्रार्थीयान का प्रकरण अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 1 का कथन है कि प्रार्थीयान व अप्रार्थी नं. 2 ता 10 प्रकरण को देरीना कर रहे हैं और प्रार्थीयान ने गलत तथ्यों पर आवेदन पेश किया है। पीठासीन अधिकारी से किसी के घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। प्रार्थीयान ने पीठासीन अधिकारी पर गलत आक्षेप लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किया जावे।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण सन् 2011 से विचाराधीन है। प्रार्थीयान द्वारा प्रकरण में दर्ज तथ्य के संबंध में प्रार्थीयान ने ऐसी कोई साक्ष्य व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे अप्रार्थी नं. 1 व उसके पति हरिमोहन के पीठासीन अधिकारी से घनिष्ठ संबंध हों एवं प्रार्थीयान द्वारा स्वयं अपने प्रकरण की पैरवी नहीं करने के कारण पूर्व में मुकदमा खारिज हुआ है जिसे सन् 2016 में पुनः नम्बर पर लिया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण को देरीना किया गया हो, प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान सारहीन व तथ्यहीन होने से चलने योग्य नहीं है। प्रकरण 6 वर्ष पुराना होने से प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम को आदेश दिया जाता है कि वह प्रकरण को छः माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली